


रीडर

27.5.24

पत्रावली पेज इट्टी प्राप्ति आधिकारिक अडमस्थित।
प्रकरण का मूल बाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज होते से इस प्रकरण में
अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है।

अतः प्रकरण आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरे-
इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल मुद्दा होकर नम्बर
से रुम है।


(रियासवी)
RS

